संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

ई-मेल training.dhsmp@gmail.com दूरभाष क्रमॉक 0755-2527105

क्रमॉक/4/प्रशिक्षण/2019/ 656 **भोपाल,दिनॉक** 24/10/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मध्यप्रदेश ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, (म0प्र0)
3. अधीक्षक, सिविल अस्पताल, (बैरागढ़)भोपाल/डॉ0कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल/जनसेवा रुग्णालय, (इटारसी) होशंगाबाद/ रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर (म0प्र0)

विषयः- जिला/सिविल अस्पतालों में इन्टर्नीशिप /प्रशिक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश ।

संदर्भः-क्रमॉक/4/प्रशिक्षण/2018/27 दिनॉक 22/01/2018

-000-

उपरोक्त एवं संदर्भ में प्रदेश के जिला / सिविल अस्पतालों में निजी कॉलेज के आयुर्वेदिक चिकित्सकों, स्टाफ नर्स तथा ए.एन.एम. आदि का इन्टर्नशिप / प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे । इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है, किन्तु कुछ जिलों से यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि इन्टर्नशिप / प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क की तुलना में कम शुल्क प्राप्त किया गया है । उक्त दिशा निर्देश दिनॉक 22/01/2018 से प्रभावी है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 22/01/2018 के पश्चात जिस भी निजी महाविद्यालयों / संस्थाओं को निर्धारित शुल्क से कम राशि प्राप्त कर इन्टर्नशिप / प्रशिक्षण आदि की अनुमति प्राप्त की गई है उनसे **अन्तर की राशि** 15 दिवस में वसूल करना सुनिश्चित करें । यदि अन्तर की राशि संबंधित संस्था प्रभारी द्वारा आगामी 15 दिवस में वसूल नही की जाती है तो राजस्व की हानि मानते हुए यह राशि उनसे वसूली योग्य होगी ।

कृपया आप अपने जिले / जिला चिकित्सालय / सिविल अस्पतालों में निजी महाविद्यालयों / संस्थाओं को प्रदान की गई अनुमति एवं वसूली क़ी गई राशि तथा दर की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को यथा शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः-दिशा निर्देशों की छाया प्रति ।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश
0755-2441074

नि०पु०क्र० 2...

पृ0क्र0/4/प्रशिक्षण/2019/ भोपाल,दिनॉक /10/2019

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ ।

1- प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय ।

2- आयुक्त,स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश ।

3- संचालक,प्रशिक्षण,स्थानीय कार्यालय ।

4- संचालक,नर्सिंग,स्थानीय कार्यालय ।

5- समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं,मध्यप्रदेश । **कृपया आप अपने संभाग के सभी जिलों में इस संबंध में समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।**

6- संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन / रोगी कल्याण शाखा, स्थानीय कार्यालय ।

हस्ता0/-

संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुडा भवन,चतुर्थ तल

भोपाल-मध्यप्रदेश

ई-मेल training.dhsmp@gmail.com दूरभाष क्रमॉक 0755-2527105

क्रमॉक/4/प्रशिक्षण/2018/ 27 भोपाल,दिनॉक 22/01/2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मध्यप्रदेश ।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, (म0प्र0)
3. अधीक्षक, सिविल अस्पताल, (बैरागढ़)भोपाल/डॉ0कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल/ जनसेवा रूगणालय,(इटारसी)होशंगाबाद/रानी दुर्गावती चिकित्सालय,जबलपुर/(म0प्र0)

विषयः- जिला/सिविल अस्पतालों में इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश ।

-000-

प्रदेश में दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा नर्सिग से संबंधित निजी महाविद्यालय संचालित है। इन निजी महाविद्यालयों के अपने स्वयं के अस्पताल नही है । इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जिला/सिविल अस्पतालों पर निर्भर रहना होता है । अतः जिला/सिविल अस्पतालों में दन्त चिकित्सा,आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं नर्सिग से संबंधित निजी महाविद्यालयों की छात्र/छात्राओं को संबंधित संस्था के रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इन्टर्नशीप / प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्नानुसार सेवा शर्ते निर्धारित की जाती है :-

1/ <u>सामान्य शर्ते</u>

- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान छात्र / छात्राओं को किसी भी प्रकार का स्टायपण्ड / भत्ता नही दिया जाऐगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान छात्र / छात्राओं को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय तथा संबंधित विभाग प्रमुख के निर्देशों तथा अनुशासन का पालन करना होगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सालय में छात्र / छात्राओं की लापरवाही अथवा जानबूझकर किये गये किसी भी कृत्य से शासकीय सम्पति की हानि होने पर उसकी भरपाई की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी ।
- ✓ आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय के अलावा अन्य स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं में भी कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण सामान्यतः 03माह/6माह/01वर्ष की अवधि की होगी तथा इसके अनुरूप इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगा :-

03 माह की इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण	-	रूपये 5000/-प्रति इन्टर्न ।
06 माह की इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण	-	रूपये 10000/-प्रति इन्टर्न ।
01 वर्ष की इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण	-	रूपये 20000/-प्रति इन्टर्न ।

- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण की अवधि लगातार रहेगी एक बार में ही इसे पूर्ण करना होगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान छात्र / छात्राओं को निर्धारित यूनिफार्म एवं एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा ।

- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय/ चिकित्सा संस्था के प्रभारी की अनुशंसा के आधार पर सफलतापूर्वक इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाणपत्र जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रदान किया जाऐगा ।
- ✓ इन्टर्न छात्र/छात्राओं को इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विभागों में कार्य करने हेतु निर्देशित करना, फिल्ड विजिट करना एवं उनके द्वारा किये गये कार्य की निगरानी एवं समीक्षा हेतु जिला/सिविल अस्पताल में किसी एक चिकित्सा अधिकारी/मैट्रन को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाये ।
- ✓ निजी महाविद्यालयों के द्वारा भी उनकी संस्था के किसी एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए जिससे कि इन्टर्न छात्र/छात्राओं के संबंध में सम्पर्क स्थापित करने में आसानी हो सकें ।
- ✓ जिला / सिविल अस्पताल नोडल अधिकारी द्वारा इन्टर्न छात्र/छात्राओं के संबंध में उनके द्वारा किये गये कार्य का मासिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए । इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण पूर्ण होने पर इन्टर्न छात्र/छात्राओं को निम्न आधार पर अंक दिये जाना चाहिए :-

1-आचारण एवं व्यवहार	-	10 अंक
2-विभिन्न विभागों में किये गये कार्य (प्रत्येक विभाग के लिए पृथक पृथक अंक दिये जाने चाहिए)	-	30 अंक
3-फिल्ड विजिट	-	10 अंक
	योग	**50 अंक**

- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा छात्र/छात्राओं को तीन माह की इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण पुनः करना होगा तथा इस हेतु आवश्यक शुल्क भी जमा करना होगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण से प्राप्त आय संबंधित/जिला अस्पताल के रोगी कल्याण समिति में जमा करायी जाऐगी तथा इन्टर्न छात्र/छात्राओं के कार्य की निगरानी एवं समीक्षा तथा फिल्ड भ्रमण हेतु आवश्यक व्यय भी इस मद् के तहत किया जा सकेगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालय एवं जिला/सिविल अस्पताल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य एक त्रिस्तरीय अनुबंध रूपये 100/-के स्टेम्प पेपर के ऊपर संपादित किया जाना चाहिए जिसमें उपरोक्त शर्तो को उल्लेख किया जाना चाहिए । अनुबंध एक वर्ष तक वैध होगा इसके पश्चात पुनः नवीन अनुबंध संपादित करना होगा ।

2/ <u>**दन्त चिकित्सक**</u>

- ✓ दन्त चिकित्सकों को दन्त चिकित्सा विभाग के अलावा मेडिसीन, आकस्मिक चिकित्सा, शिशु विभाग एवं अस्पताल प्रबन्धन में भी कार्य करना होगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान दन्त चिकित्सकों को जिले की **आर.बी.एस.के.** टीम के साथ कम से कम दो भ्रमण करना अनिवार्य होगा ।

3/ **<u>आयुर्वेदिक चिकित्सक</u>**

- ✓ चिकित्सक को जिला चिकित्सालय की आयुर्वेदिक विंग, मेडिसीन विभाग, शिशु विभाग, प्रसूति विभाग, आकस्मिक विभाग, अस्पताल प्रबन्धन में कार्य करना अनिवार्य होगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जिले की **आर.बी.एस.के.** टीम के साथ कम से कम दो भ्रमण करना अनिवार्य होगा ।
- ✓ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी के मार्गदर्शन में कम से कम 02 बार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का भी भ्रमण करना आवश्यक होगा ।

4/ **<u>स्टॉफ नर्स</u>**

- ✓ बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. नर्सिग में अध्यनरत छात्राओं को इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सालय के सभी विभागों में कार्य करना होगा जिसका निर्धारण सिविल सर्जन / आर.एम.ओ. द्वारा किया जाऐगा ।
- ✓ इन्टर्नशीप/प्रशिक्षण के दौरान स्टाफ नर्स को आपरेशन थियेटर, लेबर रुम, एस.एन. सी.यू.एवं एन.आर.सी. में भी कार्य करना होगा ।
- ✓ स्टॉफ नर्स को माह में कम से कम एक बार व्ही.एच.एण्ड डी./ टीकाकरण सत्र् का भ्रमण करना अनिवार्य होगा ।
- ✓ स्टाफ नर्स को आई.सी.यू., एन.सी.डी.क्लीनिक, संवाद केन्द्र आदि में भी कार्य करना होगा ।
- ✓ स्टॉफ नर्स को जिला चिकित्सालय के अलावा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ डिस्पेन्सरी/ अन्य चिकित्सा संस्थाओं में कार्य हेतु निर्देशित किया जा सकता है ।

<u>आयुक्त,स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित</u>

22/1

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/4/प्रशिक्षण/2018/ **भोपाल,दिनॉक** /01/2018

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ ।

1/ प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय-भोपाल ।
2/ आयुक्त,स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश ।
3/ मिशन संचालक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,8-किसान भवन,पुरानी जेल रोड,अरेरा हिल्स,भोपाल ।
4/ संचालक,स्वास्थ्य सेवाये /संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,8-किसान भवन,पुरानी जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
5/ संचालक,चिकित्सा शिक्षा,सतपुडा भवन,भोपाल ।
6/ समस्त क्षेत्रीय संचालक,संभागीय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश ।

हस्ता./-
संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश